N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0179 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 23/08/2024 20:36 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	13(1)(c)
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	13(1)(d)
3	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	13(2)
4	भा दं सं 1860	467
5	भा दं सं 1860	468
6	भा दं सं 1860	471
7	भा दं सं 1860	120-B

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 01/04/2016 **Date To (दिनांक तक):** 13/03/2017

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 10:00 बजे **Time To (समय तक):** 17:00 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 23/08/2024 **Time (समय):** 14:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 003 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 23/08/2024 20:36:52 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 452 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** Rajasv Gram Hawala Khurd

(c In case, outside the limit of this Police Station, then
(यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)
Name of P.S
(थाना का नाम):
District(State)
(जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): Umesh Ojha

(b) Father's Name (पिता का नाम): Madan kumar Ojha

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1968 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue
(जारी करने की तिथि):
Place of Issue
(जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	202, Aarchi Paradise, Shobhagpura, UDAIPUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	202, Aarchi Paradise, Shobhagpura, UDAIPUR, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number
(दूरभाष न.):
Mobile (मोबाइल न.):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars
(ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	Chandan Singh		पिता:Ganga Singh	1. Kankroli Road Nathdwara,MAHAVEER COLONY,RAJSAMAND,RAJASTHAN,INDIA
2	Moda And others		पिता:Kana Bheel	1. Rajeev Gandhi Garden ke pass,Hawala Khurd,UDAIPUR,RAJASTHAN,IN

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant**
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)**
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	अन्य	विविध		

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, वाकियात मामला इस प्रकार निवेदन है कि ब्युरों में दर्ज प्राथमिक जांच संख्या 17/2022 के सत्यापन से पाया गया कि उदयपुर शहर की फतहसागर झील के सहारे स्थित राजीव गांधी गार्डन के ठीक सामने उत्तर दिशा की ओर स्थित राजस्व ग्राम हवालाखुर्द की आराजी नबंर 1183, 1184, एवं 1185 नगर विकास प्रन्यास उदयपुर के खाते की भूमि है, इस भूमि का श्री काना भील के नाम से जारी तथाकथित नजराना पत्र दिनांक 29.02.1928 एवं इसकी तथाकथित प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 15.09.2016 की जॉच सहायक निदेशक, राजस्थान राज्य अभिलेखागार उदयपुर एवं सचिव नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा की गयी थी। जिसमें पाया गया कि उक्त तथाकथित प्रमाणित प्रति श्री चन्दनसिंह तत्कालीन सहायक प्रशासनिक अधिकारी (विपरीत प्रतिनियुक्ति) कार्यालय सहायक निदेशक, राजस्थान राज्य अभिलेखागार उदयपुर दिनांक 01-04-2016 से दिनांक 13-03-2017 तक प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत रहा है, जो दिनांक 30-09-2018 से सेवानिवृत हो चुका है, के द्वारा श्री मोडा पुत्र काना भील निवासी हवालाखुर्द राजीव गांधी गार्डन के पास उदयपुर तथा उसके परिजनों एवं भू-माफियाओं से मिलकर एक आपराधिक षडयंत्र के तहत जारी की गई। तथाकथित नजराना पत्र के मूल रिकार्ड की तलाश सहायक निदेशक, राजस्थान राज्य अभिलेखागार उदयपुर द्वारा उनके कार्यालय में करने पर किसी भी प्रकार का रिकार्ड जैसे प्रतिलिपि आवेदन पत्र, जारी प्रतिलिपि रिकार्ड की पत्रावली, प्रतिलिपि जारी करने का रजिस्टर, प्रतिलिपि जारी करने के एवज में जमा की गई राशि शुल्क कोपिंग, टिकिट आदि प्राप्त नहीं हुई। इसके उपरान्त सहायक निदेशक, राजस्थान राज्य अभिलेखागार, उदयपुर के कार्यालय पत्रांक 02 दिनाक 02.04.2018, पत्रांक 39 दिनांक 20.04.2018 एवं पत्रांक 68 दिनांक 18.05.2018 से श्री चन्दनसिंह को उक्त रिकॉर्ड की जानकारी देने तथा अपना पक्ष रखने हेतु लिखा गया था। कार्यकारी निदेशक आर.टी.डी.सी. के पत्रांक 511 दिनांक 08.05.2018 की पालना में श्री चन्दनसिंह ने दिनांक 28.05.2018, 30.05.2018 एवं 01.06.2018 को उपस्थित होकर राजस्थान राज्य अभिलेखागार उदयपुर के कर्मचारियों के साथ रिकॉर्ड तलाशा गया, किन्तु काना भील के नाम के दिनांक 29.02.1928 के तथाकथित नजराना पत्र की कोई पत्रावली अभिलेखागार में नहीं मिली तथा अभिलेखागार के रिकॉर्ड में भी प्रतिलिपि जारी करने का कोई इन्द्राज नहीं था। जांच से यह भी पाया गया कि प्रतिलिपि हेतु आवेदन पत्र प्राप्त होने के उपरान्त प्रतिलिपि पर विभाग द्वारा जो मोहर लगाई जाती है उस पर भी प्रतिलिपि क्रमांक प्रतिलिपिकार का नाम, आवेदक का नाम, शुल्क, कोपिंग टिकिट एवं दिनांक का इन्द्राज किया जाता है। परन्तु उक्त जारी प्रतिलिपि में श्री चन्दनसिंह ने इस प्रकार की कोई भी कार्यवाही नहीं की तथा तथाकथित प्रतिलिपि 15.09.2016 को जारी की जानी बतायी गयी। इस संबंध मे सहायक निदेशक, राजस्थान राज्य अभिलेखागार, उदयपुर के कार्यालय में किसी भी प्रकार का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। केशबुक व जीए 55 रिसीव पुस्तिका में श्री मोडा भील के नाम से प्रतिलिपि जारी दिनांक 15.09.2016 को या उससे पूर्व किसी भी प्रकार का कोई प्रतिलिपि शुल्क राजस्थान अभिलेखागार उदयपुर को प्राप्त होना नही पाया गया। इस प्रकार नजाराना जारी होने का रिकॉर्ड नहीं होने पर भी फर्जी नजराने की प्रतिलिपि श्री चन्दनसिंह द्वारा जारी करना पाया गया है। सहायक निदेशक अभिलेखागार, उदयपुर की प्रारम्भिक जॉच से पाया गया कि श्री चन्दनसिंह द्वारा जारी तथाकथित प्रतिलिपि नजराना पत्र की भाषा शैली एवं लिखावट वर्ष 1928 के सहायक निदेशक, राजस्थान राज्य अभिलेखागार उदयपुर में उपलब्ध अन्य किसी अभिलेख से भी मेल नहीं खाती है। रानी-रोड नामक सडक का अंकन वर्ष 1928 के सहायक निदेशक राजस्थान राज्य अभिलेखागार उदयपुर में उपलब्ध दस्तावेजो में रिकार्ड तलाशा गया था, लेकिन उसमें वर्णित होना नहीं पाया गया था।

तथाकथित नजराना पत्र में भूमि के दक्षिण एवं पश्चिम में भी रास्ता होना अंकित किया है जबकि वह रास्ता वर्ष 1928 में अस्तित्व में नहीं था। यदि उस समय ये दोनों रास्ते विधमान होते तो अवश्य ही वर्ष 1930 ईस्वी के भू-प्रबन्ध नक्शें में उसका इन्द्राज हो गया होता जबकि साबिक (पुराना) खसरा नम्बर 447 बडा नम्बर था जिसमें बाद में दो तरफ रास्ते निकल जाने से वर्ष 1985 के भू-प्रबन्ध में पुराने नबंर 447 रकबा 23 बीघा 07 बिस्वा (5.0436 हैक्टेयर) मे से रास्ते की भूमि कम होकर नवीन खसरा 1183 रकबा 1.6000 हैक्टेयर बना है। श्री चन्दन सिंह द्वारा आवेदनकर्ता से मिलीभगत कर फर्जी नजराना पत्र की प्रमाणित प्रति जारी की गई थी। सहायक निदेशक, अभिलेखागार उदयपुर की जॉच से उक्त राजकीय भूमि पर कब्जा करवाने हेतु तैयार किये गये उक्त दस्तावेजों का फर्जी होना ज्ञात आया है। तथाकथित प्रतिलिपि नजराने पत्र दिनांक 29.02.1928 की प्रतिलिपि की भाषा शैली एवं लिखावट वर्ष 1926, 1927, 1928, 1929, 1930 ईस्वी के रिकार्ड में उपलब्ध अन्य दस्तावेजों की प्रतियों से मेल नहीं खाती है। श्री चन्दनसिंह द्वारा जारी उक्त तथाकथित नजराने की फर्जी प्रमाणित प्रति को आधार बनाते हुए श्री मोडा भील द्वारा ग्राम पंचायत बडी एवं सचिव नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के विरूध माननीय उच्च न्याया०लय जोधपुर में सिविल रिट पिटिशन संख्या 2833/2018 भी दायर की गई थी, जबकि राजस्व रिकार्ड अनुसार यह भूमि राजकीय भूमि है। इस प्रकार श्री चन्दनसिंह द्वारा बनाये गये फर्जी प्रमाणित प्रति के आधार पर राजकीय भूमि के खुर्द बुर्द होने की संभावना बनी। नगर विकास प्रन्यास उदयपुर के मास्टर प्लान क्षितिज वर्ष 2031 के भू-उपयोग में इस राजकीय भूमि का भू-उपयोग ग्रीन-जोन प्रथम होकर सज्जनगढ़ वन्यजीव के इको सेन्सेटिव जोन में भी यह भूमि स्थित है जिसके सम्बन्ध में भारत -राजपत्र में दिनांक 14.02.2017 को अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। इसके अलावा यह भूमि राजस्थान राजपत्र के विशेषांक दिनांक 04.02.2014 में प्रकाशित नियंत्रित निर्माण क्षेत्र भवन उपविधि-2013 के अनुसार फतेहसागर झील से प्रभावित क्षेत्र जोन एक 'बी' में भी उक्त आराजी नम्बर 1183 सम्मिलित है तथा अधिसूचना अनुसार उक्त क्षेत्र में स्थानीय निकाय द्वारा निर्माण स्वीकृति देना अनुमत नहीं होकर निर्माण अनुज्ञेय भी नहीं है। फतेहसागर एवं पिछोला झील के उच्च भराव यानि डूब क्षेत्र केचमेन्ट एरिया व केचमेन्ट एरिया से झीलों तक आने वाले पानी के प्राकृतिक बहावे क्षेत्र में आने वाली समस्त राजकीय एवं निजी खातेदारियों की भूमियों के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा उक्त नियंत्रित निर्माण अधिसूचना दिनांक 04.02.2014 जारी की हुई है जिसमें इसे संरक्षित रखतें हुए झीलों में पानी की भराव क्षमता व पानी की आवक को सुनिश्चित करने हेतु समय समय पर राज्य सरकार, केन्द्र सरकार एवं राजस्थान उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आज्ञापक आदेश जारी किये हुए है, ताकि झीलों को अक्षुण्ण रखते हुए झीलों की सुन्दरता एवं स्वच्छता कायम रह सके। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका DBCWP(PLI) संख्या 4271/1999 राजेन्द्र कुमार राजदान बनाम राजस्थान राज्य में उदयपुर के नगरीय क्षेत्र में स्थित झीलों के केचमेन्ट क्षेत्र की खातेदारी भूमि तक में भू रूपान्तरण की कार्यवाही नहीं किये जाने के आदेश दिनांक 06.02.2007 को मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार जिला कलक्टर, उदयपुर, आयुक्त नगर निगम उदयपुर एवं सचिव नगर विकास प्रन्यास उदयपुर को दिये हुए है। इसी प्रकरण की अवमानना याचिका संख्या 90/2010 में पारित निर्णय दिनांक 27.09.2012 में मुख्य सचिव राजस्थान सरकार जिला कलक्टर उदयपुर, नगर निगम उदयपुर एवं नगर विकास प्रन्यास उदयपुर को पुनः झील किनारे 06.02.2007 के बाद खातेदारी भूमि तक में कृषि भूमि के अन्य उपयोग हेतु किये गये रूपान्तरणों को निरस्त करने का आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया था। ग्राम पंचायत बडी के पूर्व सरपंच ने दिनांक 20.05.2004 की दिनांक में अपने हस्ताक्षर से मोडा गमेती का नक्शा संलग्न कर रिक्त भूमि पर कब्जा होने का प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जबकि यह भूमि ग्राम पंचायत के खाते में दर्ज नहीं थी। अतः यह ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। साथ ही सरपंच ऐसा प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु अधिकृत नहीं है। ग्राम पंचायत बडी के ग्राम सेवक ने अपने पत्र दिनांक 05.03.2018 से प्रमाण-पत्र दिनांक 20.05.2004 ग्राम पंचायत कार्यालय से जारी नहीं किया गया बताया है। यह भूमि ग्राम पंचायत को स्थानान्तरित एवं ग्राम पंचायत के खाते की आबादी भूमि नहीं होकर बिलानाम आबादी भूमि दर्ज थी। जिसे केवल धारा 102-ए भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत जिला कलक्टर स्थानीय निकाय को स्थानान्तरित कर सकता है। नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा दिनांक 12.09.2017 को उक्त अतिक्रमण हटानें की कार्यवाही के विरूद्व श्री मोडा भील पिता काना भील ने माननीय ग्राम न्यायालय उदयपुर में वाद संख्या 83/2017 एवं टी.आई. 76/2017 के द्वारा दिनांक 15.09.2017 दायर किया गया जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 16.09.2017 को भूमि की मौके की यथास्थिति के आदेश पारित किये हुए थे। खसरा नबंर 1183 का कुल रकबा 1.6000 हैक्टेयर अर्थात 1,72,160 वर्गफीट है। उक्त कुल भूमि में से माननीय न्यायालय द्वारा केवल 61,757 वर्गफीट भूमि के सम्बन्ध में यथा स्थिति आदेश जारी किये थे। उक्त दायर वाद के पश्चात् वादी श्री मोडा एवं श्री संतोष निमावत (खटीक) पुत्र कन्हैयालाल व अन्य द्वारा इस भूमि पर अतिक्रमण की नियत से तेज गति से नवीन बाउण्ड्रीवाल का निर्माण किया जाने लगा। इस क्रम में इनके द्वारा दिनांक 03.11.2017 को गाडी नम्बर KA01MS1052 एवं KA01MK4051 से बोरिंग भी करवाया गया जिसे रात्रि में 11.30 बजे न्यास कार्मिकों द्वारा रूकवाया भी गया किन्तु इसके उपरान्त भी उक्त बोंरिग खुदवा दिया गया, जिसकी रिपोर्ट न्यास जोन पटवारी द्वारा दिनांक 06.11.2017 को तहसीलदार न्यास को की गई। माननीय न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश के उपरान्त भी मौंके पर नवीन निर्माण किया जा रहा था जिस पर नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा माननीय न्यायालय में पारित स्थगन आदेश

दिनांक 16.09.2017 के बाद किये जा रहे नवीन निर्माण के विरूद्व आर्डर 39 रूल 2 (क) जाब्ता दीवानी के तहत अवमानना प्रार्थना पत्र दिनांक 22.12.2017 को प्रस्तुत किया गया था। स्थगन आदेश के उपरान्त भी निर्माण पर श्री मोडा व अन्य के विरूद्व पुलिस थाना अम्बामाता में प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 68/2018 दिनांक 08.02.2018 से आरोपीगण श्री मोडा भील निवासी हवाला खुर्द, श्री संतोष निमावत निवासी 580, गुलाबेश्वर मार्ग हाथीपोल, उदयपुर, श्री अम्बालाल, श्री धनराज, श्री राजू पुत्र श्री मोडा भील निवासी हवाला खुर्द एवं अन्य के विरूद्व जुर्म धारा 143-447-352-506 भा.द.स. एवं 3 पी.डी.पी.पी. एक्ट के अन्तर्गत दर्ज हुई थी। उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 68/2018 थाना अम्बामाता उदयपुर को निरस्त करवाने के सम्बन्ध में श्री मोडा भील एवं अन्य द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में एसबी क्रिमीलन मिस. (चमजण्) 652/2018 मोडा भील एवं अन्य बनाम सरकार एवं अन्य दायर की गई, जिसे माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 12.03.2018 को खारिज कर दी गई एवं विधिवत कानूनी कार्यवाही करने के निर्देश भी दिये गये। उक्त भूमि के संबंध में दिनांक 05.02.2018 से नगर विकास प्रन्यास उदयपुर के नाम दर्ज किये जाने के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में सिविल रिट पिटिशन संख्या 2833/2018 दायर की गई थी। उक्त रिट में वादी द्वारा एक तथाकथित नजराना पत्र प्रस्तुत किया था। जिसको वादी द्वारा अधीनस्थ ग्राम न्यायालय मंे पूर्व से लम्बित वाद में इस रिट के दायर करने से पूर्व प्रस्तुत नहीं किया गया एवं न ही अपने वाद में ही इसका कोई अंकन ही किया गया। इस याचिका में खसरा नम्बर 1183 एवं 1184 में से 8 बीघा भूमि का स्वामित्व होने का अंकन किया गया था तथा भूमि वसीयत से प्राप्त होने का अकंन कर 90 वर्ष से काबिज होने का अकंन है जबकि ग्राम न्यायालय गिर्वा में दायर दावे वादी मोडा भील ने 200 वर्षो से कब्जा होने का अंकन किया था । इस याचिका में जिला कलेक्टर उदयपुर के आदेश दिनांक 05.02.2018 एवं नामान्तरण संख्या 882 दिनांक 05.02.2018 को निरस्त कर 5 लाख रूपये का मुआवजा का अनुतोष चाहा था। लेकिन स्वामित्वक की घोषणा नहीं चाही थी। किसी भी प्रकरण में मोडा भील ने तहसीलदार बडगॉव को पक्षकार नहीं बनाया है। ग्राम न्यायालय गिर्वा उदयपुर में ग्राम पंचायत बडी के संरपच के प्रमाण पत्र दिनांक 20.05.2004 का हवाला देकर भूमि पर कब्जा होना बताया है जिसको ग्राम पचायत बडी ने अपने पत्र दिनांक 05.03.2018 से रिकॉर्ड अनुसार जारी होना नहीं बताया है। ग्राम न्यायालय गिर्वा में दिनांक 15.09.2017 को दर्ज दावे में कही भी नजराना चुका कर नजराना पत्र का हवाला देकर भूमि पर कब्जा होना नहीं बताया है जबकि माननीय उच्च न्यायालय में दिनांक 22.02.2018 को दायर रिट में नजराना पत्र की प्रति पेश कर उसी के आधार पर कब्जे में आना बताया है। वर्ष 1928 ईस्वी से लेकर वर्ष 2018 ईस्वी तक 90 वर्षो में उक्त तथाकथित नजराना पत्र का राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करवाने की कोई कार्यवाही मोडा गमेती ने नही की जबकि इसके पश्चात् वर्ष 1930 ईस्वी, वर्ष 1981 में इस भूमि का सेटलमेन्ट होकर नया राजस्व रिकॉर्ड भी बना है। इससे भी यह स्पष्ट है कि तथाकथित नजराना पत्र प्रथम दृष्ट्या फर्जी है। विवादित भूमि खसरा नम्बर 1183 वर्ष 1981 से पूर्व भी आबादी भूमि नहीं रही है। केवल साबिक खसरा 446 जिसका रकबा 12 बिस्वा है वह आबादी दर्ज था जिसके हाल खसरा नम्बर 1184 है जिसमे मोडा भील का मकान निर्मित था तथा वर्तमान में भी उसके खण्ड्हर मौजूद है तथा इसके पास खसरा नम्बर 1183 में मोडा भील इसके पुत्रो, पुत्री के दो मकानों के अतिरिक्त 13 अन्य लोगों के मकान बने हुए है। जो सुरक्षित है, साबिक खसरा नम्बर 446 का हाल नम्बर 1184 है तथा हाल खसरा नम्बर 1183 का साबिक नम्बर 447 था। माननीय उच्च न्यायालय में आठ बीघा भूमि का अपने पिता से वसीयत में 12.07.1977 में प्राप्त होना मोडा ने अंकित किया है। लेकिन ग्राम न्यायालय गिर्वा उदयपुर में प्रस्तुत वाद में किसी भी वसीयत का अकंन/लेख तक नहीं किया है। जिससे यह समस्त दस्तावेज बाद में निर्मित होना एवं फर्जी होना प्रथम दृष्टया प्रमाणित है। माननीय ग्राम न्यायालय मे दर्ज वाद संख्या 83/2017 एवं टी.आई. 76/2017 के साथ सलंग्न दस्तावेज से राजस्व ग्राम हवालाखुर्द की आराजी नम्बर 1183 रकबा 16000 हैक्टेयर पर ग्राम पंचायत द्वारा श्री मोडा भील पिता कन्ना भील निवासी हवालाखुर्द को 67,157 वर्गफीट भूमि पर पुराने कब्जे सम्बन्धित प्रमाण-पत्र दिनांक 20.05.2004 को मय नजरी नक्शा ग्राम सरपच के हस्ताक्षरशुदा जारी होना बताकर पेश किया है। उक्त भूमि ग्राम पंचायत के खाते की भूमि नहीं होने से पचायत को किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र दस्तावेज जारी करने का अधिकार नही था। ग्राम पंचायत बडी द्वारा पत्र क्रमांक 136 दिनांक 05.03.2018 से अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत बडी द्वारा इस प्रकार का कोई भी प्रमाण पत्र अथवा दस्तावेज जारी नहीं किया गया है एवं न ही कोई रिपोर्ट इस बाबत् ग्राम पचायत में उपलब्ध है। इस प्रकार मोडा द्वारा जिस प्रमाण पत्र दिनांक 20.05.2004 को ग्राम पचायत बडी से जारी होना बताता है उसका ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड अनुसार कोई अस्तित्व ही नहीं है साथ ही सरपच ऐसा प्रमाण पत्र जारी करने हेतु अधिकृत भी नहीं है। स्पष्ट है कि यह प्रमाण पत्र एवं सलंग्न नक्शा हाल के वर्षो में बनाया जाकर दिनांक पूर्व की लगाई गई है। यह भूमि ग्राम पचायत को स्थानान्तरित एवं ग्राम पचायत के खाते की आबादी भूमि नही होकर बिलानाम आबादी भूमि दर्ज थी। जिसको केवल 102-ए भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत जिला कलक्टर स्थानीय निकाय को स्थानान्तरित कर सकता है। जिला कलेक्टर उदयपुर द्वारा उक्त प्रकरण की जॉच तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी गिर्वा उदयपुर श्री कमर चौधरी आई.ए. एस. से करवाई जा चुकी है। उपखण्ड अधिकारी गिर्वा उदयपुर द्वारा अपनी जॉच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। उक्त रिपोर्ट के आधार पर श्री मोडा भील को नोटिस जारी कर बाद सुनवाई पटवारी को रिपोर्ट एवं तहसीलदार बडगांव द्वारा जारी प्रमाणित प्रतियों को दिनांक 02.04.2018 को एक विस्तृत आदेश से जिला कलेक्टर उदयपुर द्वारा निरस्त कर दिया गया था

। इस प्रकार जांच से पाया गया कि सहायक निदेशक अभिलेखागार, उदयपुर की प्रारम्भिक जॉच से तथाकथित नजराना पत्र दिनांक 29.02.1928 के प्रथम दृष्टया फर्जी होना पाया। इसकी भाषा शैली एवं लिखावट तत्कालीन समय के अन्य दस्तावेजों से नही मिलती है। रानी-रोड नामक सडक का वर्ष 1928 में खसरा नम्बर 446, 447 के पास कोई अस्तित्व ही नही था। उक्त नजराना पत्र में वर्तमान समय के पडौस लिखे गये है वर्ष 1931 ईस्वी के मेवाड राज्य के भू प्रबन्ध के नक्शे में खसरा नम्बर 447 बडा नम्बर था जिसमें तत्कालीन समय में कोई रास्ता अंकित नहीं है, यह भी उल्लेखनीय है कि विक्रम सवत् में दिनांक 29.02.1928 को नवमी नहीं होकर अष्ठमी थी। आठ बीघा भूमि के इस नजराने पत्र में राज मोहर स्पष्ट भी नही है जबकि ऐसे दस्तावेजों में राज मोहर स्पष्ट अंकित होती है, नजराने पत्र के पश्चात् पट्टा जारी होकर रिकॉर्ड में इन्द्राज हो जाता था लेकिन इस प्रकरण में न तो पट्टा जारी हुआ न ही राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज हुआ, क्योंकि यह तथाकथित नजराना पत्र तत्कालीन समय का नही होकर जालसाजी से नगर विकास प्रन्यास उदयपुर द्वारा की गई कार्यवाही दिनांक 12.09.2017 के पश्चात्वर्ती समय में बनाया गया था। यदि पूर्व का जारी होता तो श्री मोडा भील द्वारा माननीय ग्राम न्यायालय में प्रस्तुत वाद संख्या 83/2017 एवं टी.आई. 76/2017 में इसका हवाला अवश्य दिया जाता। इससे यह तो स्पष्ट है कि उक्त तथाकथित नजराना पत्र में दिनांक 12.09.2017 के बाद बनाया गया है, जिससे कि सभी को गुमराह कर फतेहसागर किनारे स्थित बेसकिमती राजकीय भूमि को हडपा जा सके। यह कृत्य उदयपुर में सक्रिय भू माफियोओ का एक सुनियोजित षड्यन्त्र है। वास्तविकता यह है कि तथाकथित नजराना पत्र दिनांक 29.02.1928 का कोई अस्तित्व नहीं है। मोडा भील उनके तीनों पुत्रों, पुत्री ने संतोष निमावत एवं अन्य भू-माफियाओं से मिलिभगत कर सहायक निदेशक राजस्थान राज्य अभिलेखागार उदयपुर के कार्यालय में कार्यरत लिपिक संवर्ग के कार्मिक श्री चन्दनसिंह एवं अन्य से आपराधिक षडयंत्र के तहत यह फर्जी दस्तावेज तैयार कर राजकीय भूमि को हडप करने के मंशा से इसकी प्रमाणित प्रति जारी कर न्यायालय में पेश किया था। उक्त जारी तथाकथित फर्जी दस्तावेजों के संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि जारी तथाकथित प्रतिलिपि के संबंध में संबंधित नजराना पत्र भी मोडा भील, उनके तीनों पुत्रों पुत्री ने संतोष निमावत एवं अन्य भू-माफीयाओं एवं कर्मचारीयों से मिलीभगत कर गायब करवा दिये है जिससे असल के अभाव में एफ.एस.एल. जॉच भी नहीं हो सके तथा इसे फर्जी साबित करना मुश्किल हो। नगर विकास प्रन्यास उदयपुर से उक्त भूमि की वर्तमान स्थिति चाही गई तो नगर विकास प्रन्यास द्वारा पत्राक 4862 दिनांक 18-09-2023 से अवगत कराया कि श्री मोडा भील द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय मे एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 7884/2018 मोडा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई थी। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त रिट को दिनांक 24.11.2021 को खारिज की गई एवं माननीय ग्राम न्यायालय मे विचाराधीन प्रकरण संख्या 76/2017 मे पारित आदेश दिनांक 28.05.2022 के उपरान्त उक्त भूमि का कब्जा न्यास द्वारा दिनांक 30.05.2022 को लिया गया वर्तमान में उक्त भूमि न्यास स्वामित्व मे होकर न्यास की बाउन्ड्रीवाल बनी हुई है। इस प्रकार राजकीय भूमि को कार्यालय सहायक निदेशक, राजस्थान राज्य अभिलेखागार उदयपुर में कार्यरत श्री चन्दनसिंह (1 अप्रेल 2016 से 2 जून 2017 तक प्रतिनियुक्ति पर) कार्यालय सहायक ने मोडा भील, श्री सन्तोष निमावत व अन्य से मिलिभगत कर कूटरचित दस्तावेज (नजराना पत्र) तैयार करना पाया गया है। पुलिस थाना अम्बामाता, उदयपुर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 68/2018 के आरोपीगण श्री मोडा भील निवासी हवाला खुर्द, श्री अम्बालाल, श्री धनराज, श्री राजू भील पुत्र श्री मोडा भील निवासी हवाला खुर्द, श्री संतोष निमावत निवासी 580, गुलाबेश्वर मार्ग हाथीपोल, उदयपुर के विरूद्व जुर्म धारा 143-447-506 भादस एवं 3 पी.डी.पी.पी. एक्ट के अन्तर्गत चालान जरिये चार्जशीट संख्या 85/2018 दिनांक29-03-2018 से न्यायालय ए.सी.जे.एम. संख्या-02,उदयपुर से प्रस्तुत की गई जहां माननीय न्यायालय में उक्त प्रकरण विचाराधीन चल रहा है, जिसमें आगामी तिथि10-04-2024 नियत है। अतः आरोपी श्री चन्दनसिंह, सहायक प्रबन्धक, कार्यालय निदेशक राजस्थान पर्यटक विकास निगम लिमिटेड, राजस्थान, जयपुर प्रतिनियुक्ति तत्कालीन सहायक कार्यालय अधीक्षक, राजस्थान राज्य अभिलेखागार, उदयपुर हाल सेवानिवृत के द्वारा अपने पद एवं अधिकारों का दुरूपयोग कर राजकीय भूमि को खुर्द-बुर्द करने हेतु श्री मोडा भील व अन्य से आपसी मिलीभगत कर षडयंत्र रचकर, श्री मोडा भील व अन्य को अवैध लाभ पहुंचाने की नियत से कूटरचित दस्तावेज (नजराना पत्र) तैयार किये, जो अपराध धारा 13(1)(सी) (डी), 13 (2) पीसी एक्ट 1988 एवं धारा 467, 468, 471 एवं 120बी भा.द.स. प्रथम दृष्टया प्रमाणित है। अतः आरोपीगण श्री चन्दनसिंह, सहायक प्रबन्धक, कार्यालय निदेशक राजस्थान पर्यटक विकास निगम लिमिटेड, राजस्थान, जयपुर प्रतिनियुक्ति तत्कालीन सहायक कार्यालय अधीक्षक, राजस्थान राज्य अभिलेखागार, उदयपुर हाल सेवानिवृत के द्वारा श्री मोडा भील व अन्य के विरूद्व अपराध धारा 13(1)(सी)(डी), 13 (2) पीसी एक्ट 1988 एवं धारा 467, 468, 471 एवं 120बी भा.द.स. के तहत ब्यूरो में बिना नम्बरी प्रथम सूचना वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान् की सेवामें सादर प्रेषित है। भवदीय (विक्रम सिंह) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।.....कार्यवाही पुलिस..... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री विक्रम सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 13(1)(सी)(डी), 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं धारा 467, 468, 471 एवं 120बी भा.द.स.में आरोपीगण 1. श्री चन्दनसिंह, सहायक प्रबन्धक, कार्यालय निदेशक राजस्थान पर्यटक विकास निगम लिमिटेड, राजस्थान, जयपुर प्रतिनियुक्ति तत्कालीन सहायक कार्यालय

अधीक्षक, राजस्थान राज्य अभिलेखागार, उदयपुर हाल सेवानिवृत। 2. श्री मोडा पुत्र काना भील निवासी हवालाखुर्द राजीव गांधी गार्डन के पास उदयपुर 3. अन्य के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियॉं नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्री मंशाराम, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजसमंद को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 347पर अंकित है। (ज्ञान सिहं चौधरी) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राज.,जयपुर क्रमांक 954-58दिनांक 23.08.2024 प्रतिलिपिः.सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर। 2 प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान पर्यटक विकास निगम लिमिटेड, राजस्थान, जयपुर। 3 उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर। 4 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर। 5 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक-परि., भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर (प्राथमिक जांच संख्या 17/2022) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**
or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** MANSHA RAM **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh Choudhary
Location: Rajasthan,IN
Date: 2?.08/2024

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	05/09/1958				
2	Male	1964				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (श्वेत रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)